शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या:82/2022/1530/12-2-2022-14/2016टी0सी0

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 25 अक्टूबर, 2022

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 31/2021/1176/1363531/12-2099 /85/2021, दिनांक 09 जून, 2021, शासनादेश संख्या: 39/2019/2882/12-2-2019-14/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या: 42/2019/2997/12-2-19-14/2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 79/2022/1445/1363531/12-2099/85/2021, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के दृष्टिगत विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए इस विषयगत दैनिक रूप से अनुश्रवण किए जाने के निदेश दिये गये हैं।

2. इस विषय में समीक्षा किए जाने पर यह पाया गया कि राज्य के कुछ जनपदों में पराली जलाये जाने की घटनाओं में आशानुरूप कमी नहीं हुई है। यद्यपि ऐसे जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ आज दिनांक 25.10.2022 को सांय 6.00 बजे वी0सी0 के माध्यम से समीक्षा की जा रही है (जनपदों की सूची संलग्न)। तथापि यह आवश्यक है कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में इस विषय में सम्यक रूप से पूर्व वर्णित निर्देशों के अनुरूप समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि पराली के जलाये जाने की कोई घटना घटित न हो।

3. आप अवगत हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या: 13029/1985 एम0 सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर-666/2018 श्रीमती गंगा लालवानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम किया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त विषय की गम्भीरता एवं महत्ता के दृष्टिगत इसकी नियमित समीक्षा भी राज्य सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है।

5. अत: उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में पराली के जलाये जाने को रोके जाने विषयक कार्य योजना पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए दैनिक रूप से गहन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये और फसल अवशेष जलाये जाने की घटना को रोका जाये। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि पर्यावरणीय नियमों के विपरीत कृत्य करने वालों के विरूद्ध समुचित निरोधात्मक एवं विधिक कार्यवाही भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित करायी जाये।

संलग्नक- यकोक्त।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/ऊर्जा/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/गृह विभाग/ राजस्व/परिवहन/पशुपालन/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समीक्षा सतत रूप से वर्णित निर्देशों के अनुक्रम में सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना-एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. सचिव, वायु गुणवत्ता आयोग, नई दिल्ली।
6. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपदों की सूची

1	अलीगढ़
2	बाराबंकी
3	फतेहपुर
4	कानपुर नगर
5	मथुरा
6	हरदोई
7	सम्भल
8	गाजियाबाद
9	गौतमबुद्ध नगर
10	मेरठ
11	सहारनपुर
12	रामपुर
13	खीरी
14	पीलीभीत
15	शाहजहॉपुर
16	बुलन्दशहर
17	शामली
18	बरेली

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।